

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
	02.12.2024	<p>यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी श्री सीताराम सैनी ने मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर अंतरिम पर सुना गया। न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन करने एवं प्रार्थी द्वारा की गई बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया गया तो हम पाते हैं कि प्रार्थी को एकपक्षीय स्थगन दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 20.12.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">8</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर</p>	
	20/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाब द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य करने के कारण कार्यवाही नहीं हो पायी। पत्रावली दिनांक...13/01/25</p>	
	13/1/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाब द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य करने के कारण कार्यवाही नहीं हो पायी। पत्रावली दिनांक...11/2/25</p>	
	11/2/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक...11/3/25 को पेश हो</p>	
	4/3/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। पार्थी स्वयं भी अनुपस्थित। न्यायालय मुकदमे में कार्य-कार धावा जे लगाई गई</p>	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व बाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
		<p>पर-तु ना तो जारी लंप उपस्थित दुष्ट ना ही जारी के नीचे अपस्थित हुए अतः जारी न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारिणी अन्तर्गत केवल नै खारिज काय्यात जाता ही परावली नष्ट से न देकर नालि ल गण्ड ल हो</p>	